

# नगर निगम, रुद्रपुर जनपद-ऊधमसिंह नगर की बोर्ड बैठक दिनांक 19.03.2023 का कार्यवृत्त

पत्रांक- 57 / बोर्ड बैठक / 2022-23 / P.B.

दिनांक: 13/04/2023

आज दिनांक 19 मार्च, 2023 को प्रातः 11:00 बजे नगर निगम, रुद्रपुर के सभागार में निगम बोर्ड की बैठक आहूत की गयी, जिसमें महापौर एवं निम्न पार्षदगण/सदस्यगण उपस्थित हुये-

| क्र. सं. | नाम महापौर/पदेन सदस्य/वार्ड पार्षद | पदनाम        | वार्ड नम्बर/पता                        |
|----------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1.       | श्री रामपाल सिंह                   | महापौर       | नगर निगम, रुद्रपुर                     |
| 2.       | श्री सुरेश चन्द्र                  | पार्षद       | वार्ड नं0. 01, फुलसुंगा, फुलसुंगी      |
| 3.       | श्री राजेन्द्र निषाद               | पार्षद       | वार्ड नं0. 02, ट्रांजिट कैम्प पूर्वी   |
| 4.       | श्री विधान राय                     | पार्षद       | वार्ड नं0 .03, ट्रांजिट कैम्प मध्य     |
| 5.       | श्री सुशील मण्डल                   | पार्षद       | वार्ड नं0 .04, ट्रांजिट कैम्प पश्चिमी  |
| 6.       | श्रीमती प्रीती साना                | पार्षद       | वार्ड नं0 .05, मुखर्जीनगर              |
| 7.       | श्री निमित्त कुमार शर्मा           | पार्षद       | वार्ड नं0 06, जगतपुरा                  |
| 8.       | श्री मोहन कुमार                    | पार्षद       | वार्ड नं0 09, शिव नगर                  |
| 9.       | श्री सीमा गुप्ता                   | पार्षद       | वार्ड नं0 12, औद्योगिक क्षेत्र         |
| 10.      | श्री मो0 अशफाक                     | पार्षद       | वार्ड नं0. 13, दूधिया नगर              |
| 11.      | श्री जितेन्द्र यादव                | पार्षद       | वार्ड नं0 14, भईपुरा                   |
| 12.      | श्री प्रमोद कुमार शर्मा            | पार्षद       | वार्ड नं0 16, विगवाड़ा                 |
| 13.      | श्रीमती शालू पाल                   | पार्षद       | वार्ड नं0 17, खेड़ा दक्षिणी            |
| 14.      | श्री सुनील कुमार                   | पार्षद       | वार्ड नं0 19, खेड़ा मध्य               |
| 15.      | मो0 जाहिद                          | पार्षद       | वार्ड नं0.20, भूतबंगला उत्तर पूर्वी    |
| 16.      | श्री अमित कुमार मिश्रा             | पार्षद       | वार्ड नं0 21, भूतबंगला पश्चिमी-दक्षिणी |
| 17.      | श्रीमती कमला देवी                  | पार्षद       | वार्ड नं0.24, रम्पुरा पश्चिमी          |
| 18.      | श्री आयुष तनेजा                    | पार्षद       | वार्ड नं0 30, डी01 डी02                |
| 19.      | श्री मोहन लाल खेड़ा                | पार्षद       | वार्ड नं0 32, भूरानी                   |
| 20.      | श्री सुशील चौहान                   | पार्षद       | वार्ड नं0 33, सिंह कालौनी              |
| 21.      | श्रीमती श्यामली विश्वास            | पार्षद       | वार्ड नं0 35, आदर्श इन्द्रा कालौनी     |
| 22.      | श्री रंजीत सागर                    | पार्षद       | वार्ड नं0. 36, आदर्श कालौनी घास मण्डी  |
| 23.      | श्री बबलू सागर                     | पार्षद       | वार्ड नं0 37, कल्याणी व्यू/रविन्द्रनगर |
| 24.      | श्रीमती रीना जग्गा                 | पार्षद       | वार्ड नं0 38, आवास विकास पश्चिमी       |
| 25.      | श्री राजेश कुमार                   | पार्षद       | वार्ड नं0 40, सिडकुल                   |
| 26.      | श्री बल्लई विश्वास                 | नामित पार्षद | वार्ड नं0, 05 मुखर्जीनगर               |



उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में विभिन्न संशोधनों सहित यथाप्रवृत्त) की धारा 90(3) के प्राविधानों के अन्तर्गत एजेण्डे के अनुसार बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई—

| प्रस्ताव संख्या | प्रस्ताव                                                                                                                                                                                     | प्रस्ताव स्वीकृति विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | पिछली कार्यवाही की पुष्टि/अनुमोदन पर विचार।                                                                                                                                                  | वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा सदन के समक्ष पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया तथा पारित प्रस्ताव के सापेक्ष कृत कार्यवाही से भी अवगत कराया गया, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुमोदन किया गया।                                                                   |
| 2.              | वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुए आय व्यय एवं अनुपूरक बजट पर विचार एवं वर्ष 2023-24 के बजट पर विचार।                                                                                              | प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.              | नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत साफ-सफाई व्यवस्था हेतु 02 नग हाइड्रालिक ट्रॉली क्रय किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।                                                            | जनहित में साफ-सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                   |
| 4.              | एन0एच0 74 स्थित ट्रैडिंग ग्राउण्ड से कूड़े को एन0एच0 पर आने से रोकने हेतु पूर्व में तथा भविष्य में आवश्यकतानुसार पोकलेण्ड वाहन किराए पर लिए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार। | कार्य अति महत्वपूर्ण होने के कारण प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.              | वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹0 50.00 लाख की कीटनाशक दवाएं क्रय किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।                                                                             | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.              | मा0 बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में G-20 की बैठक के दृष्टिगत आवश्यक कार्य कराये जाने एवं आवश्यक सामग्री क्रय किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।                         | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.              | साफ-सफाई के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार कूड़ा रिकशा क्रय किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।                                                                                     | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.              | साफ-सफाई हेतु आवश्यकतानुसार हाथ-रिकशा क्रय किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।                                                                                              | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.              | डॉग लाइसेन्स हेतु तैयार की गई नियमावली पर विचार।                                                                                                                                             | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। सदन द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवासीय शानों को खाना खिलाने वाले समस्त एन0जी0ओ0 को उनकी सम्पूर्ण देख-रेख, टीकाकरण एवं बध्याकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु डॉग नियमावली में प्रस्ताव शामिल किये जाने पर विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। |
| 10.             | नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 02 एम आर एफ सेन्टर निगम द्वारा तथा 02 एम0आर0एफ0 सेन्टर CSR के माध्यम से बनाए जाने पर विचार।                                                                         | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत Door to Door Collection, Secondary Collection & Transportation of Waste (C&T) जोन 1 तथा जोन 2 हेतु अनुबन्धित फर्मों से यूजर चार्ज एकत्रिकरण का कार्य वापस लेकर स्वयं सहायता समूह ("नारी शक्ति सेना") के माध्यम से यूजर चार्ज एकत्रित करावाने तथा उसका 25 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह ("नारी शक्ति सेना") मानदेय के रूप में दिये जाने पर विचार। शेष 75 प्रतिशत यूजर चार्ज का अनुबन्धित फर्मों तथा नगर निगम के मध्य 50:50 प्रतिशत का बंटवारा किए जाने की स्वीकृति पर विचार। | इस सम्बन्ध में पृथक से प्रस्ताव संख्या 25(8) सर्वसम्मति से पारित किया गया है।                                                                                                                                                                     |
| 12. | मुख्यमंत्री घोषणा 140/2022 के अनुपालन में मोहल्ला स्वच्छता समिति को प्रतिदिन रु0 500.00 की दर से मानदेय भुगतान करने की स्वीकृति पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मोहल्ला स्वच्छता समितियों को मार्च 2023 तक प्रस्तावित दरों के अनुसार भुगतान करते हुये नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत तीनों मोहल्ला स्वच्छता समितियों को भंग कर दिया जाये। |
| 13. | नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अतिक्रमण अभियानों/ यूजरचार्ज/चालानी कार्यवाही हेतु दोनों सहायक नगर आयुक्तों हेतु 02 होमगार्ड जवान रखे जाने की स्वीकृति पर विचार उक्त होमगार्डों का वेतन नगर निगम, रुद्रपुर बोर्ड फण्ड से आहरित किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।                                                                                                                                                                                                                             | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                         |
| 14. | नगर निगम रुद्रपुर में आगामी 02 वर्ष के लिये आउटसोर्स के माध्यम से मानवशक्ति की आपूर्ति हेतु आने वाले अनुमानित व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                         |
| 15. | नगर निगम रुद्रपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टेशनरी की आपूर्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                         |
| 16. | रुद्रपुर नगर निगम सैप्टेज मैनेजमेंट रेगुलेशन-2019 के नियम संख्या 12.3(b) में निर्मित तालिका के क्रम संख्या 03 पर अंकित श्रेणी All other house (Pucca House) के लिये गजट में निर्धारित शुल्क रु0 1500.00 प्रति ट्रिप (अप-टू 3000 ली0) को भविष्य के लिए नगर निगम, रुद्रपुर के वाहन के माध्यम से बुकिंग कर उपयोग करने पर गजट के शुल्क को घटाकर रु0 1000.00 प्रति ट्रिप (अप-टू 3000 ली0) करने की स्वीकृति पर विचार।                                                                                           | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                         |
| 17. | मा0 बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्यासा में दिनांक 29.01.2023 से दि0 28.02.2023 तक होर्डिंग/यूनिपोल विज्ञापन में 01 माह की समयावृद्धि की गयी, की स्वीकृति पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | सभी व्यवसायिक भवनों/दुकानों के गृहकरदाताओं को गृहकर जमा करते समय अन्य दस्तावेजों के साथ व्यवसाय से सम्बन्धित लाईसेंस भी अनिवार्य करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.   | वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के 03 माह में गृहकर जमा करने पर गृहकरदाताओं को 05 प्रतिशत आवासिय भवनों में एवं 02 प्रतिशत अनावासीय भवन पर छूट पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20.   | नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ट्रेड लाईसेंस निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21.   | गांधी पार्क के स्थित निकट पुरानी लाईब्रेरी N3 CA को किराये पर दिये जाने हेतु किराये की धनराशि को कम करने तथा पगड़ी की धनराशि को आठ लाख से कम किये जाने पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22.   | गाँधी पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु पी0पी0पी0 मोड़ पर दिये जाने हेतु विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23.   | नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ट्रांजिट कैम्प में डिवाइडरों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट पोल लगाने का कार्य सड़क निर्माण न हो पाने के कारण 01 वर्ष तक लम्बित रहने पर सामान की दरो पर वृद्धि होने के कारण उक्त कार्य को वर्तमान में बड़ी हुई दरो पर कराये जाने की स्वीकृति पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24.   | अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष/मा0 बोर्ड की अनुमति से।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24(1) | जी-20 सम्मेलन के दृष्टिगत मुख्य मार्ग एन.एच. 87 नैनीताल हाईवे में गाँधी पार्क की बाउण्ड्री के किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण के पश्चात् गाँधी पार्क की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं उसको ऊँचा कर सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु नगर निगम की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 16.03.2023 में रु0 14.98 लाख आगणन धनराशि का पारित प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार तथा दशमेश चौक से डी0 डी0 चौक तक ह्यूम पाईप डालकर क्षतिग्रस्त बड़े नाले के पानी की निकासी किये जाने पर विचार एवं उक्त कार्य की लागत 25.00 लाख से अधिक होने के कारण सम्मेलन से पूर्व कार्य पूर्ण करने हेतु ई-निविदा के स्थान पर अति अल्प कालीन निविदा के माध्यम से ऑफ लाईन निविदा आमंत्रित करने पर विचार। | मा0 महापौर महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 26.03.2023 से 28.03.2023 तक जी-20 सम्मेलन प्रस्तावित होने के कारण सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले देशों के प्रतिनिधियों के आवागमन हेतु निर्धारित मार्गों का शासन व प्रशासन के स्तर पर सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त के अन्तर्गत मुख्य मार्ग एन.एच. 87 नैनीताल हाईवे में गाँधी पार्क की बाउण्ड्री के किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण के पश्चात् गाँधी पार्क की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं उसको ऊँचा कर सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु नगर निगम की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 16.03.2023 में पारित प्रस्ताव के अनुमोदन किया जाना है तथा दशमेश चौक से डी0 डी0 चौक तक ह्यूम पाईप डालकर क्षतिग्रस्त बड़े नाले के पानी की निकासी किया जाना है। अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण कर उक्त कार्य हेतु रु0 55.38 लाख का आगणन गठित किया गया है अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार 25.00 लाख से अधिक |



|       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                           | <p>लागत के निर्माण कार्यों को ई-निविदा के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है चूंकि सम्मेलन से पूर्व कार्य पूर्ण किया जाना अतिआवश्यक है प्रस्तावित कार्य हेतु शासन से धनराशि की मांग की गई है एवं कार्य को तात्कालिकता के आधार पर जी-20 से पूर्व किया जाना अति आवश्यक है। परन्तु जी-20 सम्मेलन में कम समय होने के कारण ई-निविदा प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगने की सम्भावना है इसलिए प्रस्तावित कार्य को तात्कालिकता के आधार पर ई-निविदा के स्थान पर सामान्य रूप में अति अल्पकालीन निविदा के माध्यम से किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>उपरोक्तानुसार मा0 सदन द्वारा जी-20 सम्मेलन के दृष्टिगत सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों के सम्मान हेतु मुख्य मार्ग एन.एच. 87 नैनीताल हाईवे में गाँधी पार्क की वाउण्ड्री के किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण के पश्चात् गाँधी पार्क की क्षतिग्रस्त वाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं उसको ऊँचा करने के उपरान्त गेट/द्वार का निर्माण कर सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु नगर निगम की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 16.03.2023 में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा दशमेश चौक से डी0 डी0 चौक तक ह्यूम पाईप डालकर क्षतिग्रस्त बड़े नाले के पानी की निकासी कार्य को तात्कालिकता के आधार पर ई-निविदा के स्थान पर सामान्य रूप में अति अल्पकालीन निविदा के माध्यम से किया जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति का प्रस्ताव पारित किया गया।</p> |
| 24(2) | नेशनल हाईवे के किनारे स्थित बस अड्डे के सामने दुकाने/खोखे जो एन0 एच0 द्वारा ध्वस्त कर दिये गये हैं। उक्त खोखे एवं दुकानों पर आवंटित व्यवसायियों को पुनर्स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24(3) | नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवारा कुत्तो को खाना खिलाने वाले एन0जी0ओ0 को निन्दा प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर विचार।                                                                         | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। निन्दा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24(4) | मेन्टल हॉस्पिटल के निकट 1.5 एकड़ नजूल भूमि नगर निगम, रुद्रपुर के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर विचार।                                                  | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24(5) | नगर निगम, रुद्रपुर में स्थायी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय विदाई समारोह हेतु रु0 5,000.00 तक का व्यय नगर निगम बोर्डफण्ड से किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।  | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24(6)  | नगर निगम, रुद्रपुर के आउटसोर्स पर्यावरण मित्र की मृत्यु के उपरान्त रू0 5,000.00 दिये जाने पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                    |
| 24(7)  | मौहल्ला जगतपुरा की भूमि जो महायोजना 2031 एवं 2041 के मानचित्र में कार्यालय भू-उपयोग हेतु दर्शायी गई है उक्त भूमि को महायोजना 2031 एवं 2041 में आवासीय क्षेत्र के रूप में परिवर्तन करने हेतु विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। उक्त पर आपत्ति दर्ज किये जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। |
| 24(8)  | नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डोर-टू-डोर कूड़ा कलैक्शन हेतु अनुबंधित फर्मों द्वारा 90 प्रतिशत से कम सोर्स सैग्रीगेशन किये जाने की स्थिति में प्रतिमाह रू0 02 लाख की कटौती निर्धारित किये जाने तथा 90 प्रतिशत से कम सोर्स सैग्रीगेशन की स्थिति में यूजर चार्ज में से कोई भी लाभांश न दिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।                                                                                                                                                                | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                    |
| 24(9)  | नगर निगम के 40 वार्डों में सी0सी0 रोड व नाली का कार्य की तत्काल आवश्यकता हो परिस्थिति के दृष्टिगत 4.00 Km सी0सी0 रोड व 5.00 Km नाली के निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                    |
| 24(10) | नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ट्रैडिंग ग्राउण्ड पर पुराने पड़े लगभग 1.25 मीट्रिक टन नगरीय टोस अपशिष्ट का निस्तारण सम्पन्न किया जा चुका है। नवंबर 2022 में कराए गए वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर उक्त स्थान पर लगभग 33000 मीट्रिक टन (current Waste एकत्रित था, जिसके निस्तारण हेतु मा0बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में ई-निविदा के माध्यम से मै0 एस0एस0एस0 इंजिनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स को अनुबन्धित किया गया है। उक्त कार्य कराए जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार। | प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।                                    |

नोट:- उपरोक्त स्वीकृत प्रस्तावों में आने वाले व्यय का वहन शासन द्वारा जारी शासनादेशों, धनावंटन में दिये गये निर्देशों तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके लिए नगर निगम रुद्रपुर के लेखा अनुभाग का दायित्व निर्धारित किया गया।

बैठक के अन्त में मा0 महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित पार्षदगणों/ सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की सहर्ष घोषणा की गई।

  
(रामपाल सिंह)

महापौर  
नगर निगम, रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर